xxxxx

संख्या- 1894/15-7-16 §/199

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा के न्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

सचिव,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

शिक्षा §7§ अनुभाग

लखनऊः दिनांक : 22 मई ,1998

विषय:- xxxx महर्षि विद्या मन्दिर बाराबंकी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर बाराबंकी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

§1§ विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

§2§ विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

§3§ विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

§4§ संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायगी ।

§5§ संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

§6§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

-----2

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

(जनार्दन प्रसाद जोशी)
अनुभाग अधिकारी,
शिक्षा अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन

Principal
Maharishi Vidya Mandir
BARABANKI(U.P.)

§7§ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी [illegible] लिये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

§8§ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

§9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- ~~प्रतिबन्ध/यह भी होगा कि संस्था द्वारा अब तक किये गये निर्माण कार्य~~ कृपया निम्नलिखित की स्थिति सुनिश्चित करा लिया जाय :-

§1§ विद्यालय नवीन नहीं निजी भवन में माह जुलाई, 99 में स्थानान्तरित करा लिया जायेगा ।

§2§ किराये के भवन में विद्यालय का संचालन मान्य नहीं होगा ।

§3§

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह0/-

§ अशोक गांगुली §
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 1684 §1§/15-7-98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर बाराबंकी ।

आज्ञा से,

ह0/-

§अशोक गांगुली §
संयुक्त सचिव।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

(जनार्दन प्रसाद जोशी)
अनुभाग अधिकारी,
शिक्षा अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश शासन

Principal
Maharishi Vidya Mandir
BARABANKI(U.P.)